निर्णय सुरक्षित रखने की दिनांक	निर्णय पारित किया जाने कि दिनांक	वह तिथि जब निर्णय वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है	
		ऑपरेटिव	फूल
01.09.2025	25.11.2025	------	25.11.2025

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर

निर्णय सुरक्षित किया गया :––01.09.2025

निर्णय पारित किया गयाः––25.11.2025

दाण्डिक अपील सं 304/2015

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1 – अरुण कुमार वैष्णव उर्फ चंकी, पिता स्वर्गीय प्रभु दास वैष्णव, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी ग्राम कुदुरमल्ल, थाना। उरगा, जिला कोरबा, छ.ग.

–––अपीलकर्ता

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य , पुलिस थाना उरगा के द्वारा , जिला कोरबा, छ.ग.

––––उत्तरवादी

अपीलार्थी हेतु		श्री ऋषि राहुल सोनी, अधिवक्ता
उत्तरवादी/राज्य हेतु		श्री अफरोज खान, पैनल अधिवक्ता

माननीय श्रीमती रजनी दुबे,न्यायाधीश

तथा

माननीय श्री अमितेंद्र किशोर प्रसाद,न्यायाधीश

सीएवी निर्णय

रजनी दुबे, न्यायाधीश के अनुसार

1. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के तहत यह अपील अपीलकर्ता द्वारा जिला कोरबा (सी.जी.) के माननीय द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा सत्र विचारण संख्या 76/2013 में दिनांक 26.12.2014 को पारित दोषसिद्धि के निर्णय और दंड के आदेश के विरुद्ध दायर की गई है, जिसके तहत विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को दोषी ठहराया और उसे निम्नानुसार दंड पारित किया गया :–

दोषसिद्धि	दंड
भा.दं.सं. कि धारा 363 के तहत	सात वर्ष का कठोर कारावास और 1,000 रुपये का जुर्माना; जुर्माना न भरने पर दो महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
भा.दं.सं. कि धारा 364 ए	आजीवन कारावास और 5,000 रुपये का जुर्माना; जुर्माना न भरने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
भा.दं.सं. की धारा 302 के तहत	आजीवन कारावास और 5,000 रुपये का जुर्माना;जुर्माना न भरने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
भा.दं. सं. की धारा 201 के तहत	5 वर्ष का कठोर कारावास और 1,000 रुपये का जुर्माना; जुर्माना न भरने पर दो महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा

(सभी दंड साथ–साथ चलेंगी)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. अभियोजन पक्ष का संक्षिप्त प्रकरण, यह है कि 16.05.2013 को परिवादी मुकेश कुमार बैरागी ने अपने लगभग 6 वर्षीय बच्चे भूपेश अलीसा अप्पू के लापता होने की सूचना उसके विवरण सहित दर्ज कराई। उपरोक्त जानकारी के आधार पर, उर्गा पुलिस थाना में गुमशुदा व्यक्ति का प्रकरण संख्या 13/13 दर्ज किया गया और रोजनामचासंहा संख्या 22 दर्ज करके खोज कार्यवाही प्रारम्भ की गई।17.05.2013 को लगभग शाम 7:00 बजे एक अज्ञात व्यक्ति ने नाबालिग के दादा जगदीश दास वैष्णव को उनके मोबाइल नंबर 9993585275 पर मोबाइल नंबर 7805990913 से फोन किया और अपहृत बच्चे की रिहाई के बदले 10,00,000 रुपये की फिरौती की मांग की।कॉल विवरण प्राप्त करने पर ज्ञात होता है कि फिरौती के लिए इस्तेमाल किया गया सिम जाली दस्तावेजों के आधार पर अमित नाम के व्यक्ति को जारी किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप दुकानदार सोहन लाल गुप्ता के विरुद्ध आईपीसी की धारा 420 और 467 के तहत एक अलग

अपराध दर्ज किया गया।बाद में सिम कार्ड आरोपी से संबंधित पाया गया, जिसके बाद उर्गा पुलिस ने धारा 363 और 364 आईपीसी के तहत एफआईआर संख्या 72/13 दर्ज की। उक्त मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स प्राप्त की गईं और आरोपी को 17.05.2013 को गिरफ्तार कर लिया गया।साक्षीयों के समक्ष पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुलासा किया कि आर्थिक तंगी और बच्चे के संपन्न परिवार को अपमानित करने के आशय से उसने बच्चे का अपहरण किया, फिरौती की मांग की, गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और शव को एक स्टोररूम में छिपा दिया।पंचनामा तैयार किया गया, शव बरामद किया गया, पोस्टमार्टम किया गया और शव परिवार को सौंप दिया गया।घटनास्थल का नक्शा, अतिरिक्त पंचनाम और साक्षीयों के बयान दर्ज किए गए; घटना में इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन, संबंधित सिम कार्ड और जगदीश से बरामद एक अन्य फोन जब्त कर लिया गया। आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।अन्वेषण पूरा होने पर, न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आईपीसी की धारा 363, 364–ए, 302 और 201 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोपपत्र दाखिल किया गया, जिन्होंने मामले को सत्र न्यायालय को सौंप दिया, जहां से इसे विचारण के लिए विचारण न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया।इसके बाद विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता के विरुद्ध आईपीसी की धारा 363, 364–ए, 302 और 201 के तहत आरोप निर्धारित किए, जिस पर अपीलकर्ता ने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया और विचारण की मांग की।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. आरोपी/अपीलकर्ता का अपराध साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 13 साक्षीयों से परीक्षा की। अभियुक्त/अपीलकर्ता का बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज किया गया, जिसमें उसने अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों में उसके विरुद्ध प्रस्तुत सभी दोष सिद्ध करने वाले तथ्यों से इनकार किया और अपनी निर्दोषता तथा झूठे फँसाए जाने का दावा किया।बचाव पक्ष में उसने शशिकांत वैष्णव को डी डब्लू 1 के रूप में पेश किया।

4. अभिलेख में उपलब्ध मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का मूल्यांकन करने पर, विचारण न्यायालय ने अपने दिनांक 26.12.2014 के निर्णय में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को विश्वसनीय पाया और तदनुसार अपीलकर्ता को इस निर्णय के कंडिका 1 में उल्लिखित अनुसार दोषी ठहराया तथा दंड पारित किया गया है। अतः, यह अपील प्रस्तुत किया गया है।

5. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तर्क देते है विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अवैध, मनमाना और अनुमानों पर आधारित है, इसलिए विधि की दृष्टि से मान्य नहीं है।उनका तर्क है कि अपीलकर्ता निर्दोष है और उसे वर्तमान प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।उनका यह भी कहना है कि अभियोजन पक्ष ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि शव अपीलकर्ता के कहने पर बरामद किया गया था, परंतु यह दावा अत्यंत संदिग्ध है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, अपीलकर्ता का ज्ञापन बयान (एक्स पी/ 9) दर्ज किया गया था, और उसमें दी गई जानकारी के आधार पर मृतक का शव बरामद किया गया था।हालांकि, अभियोजन पक्ष द्वारा यह साबित करने के लिए कोई पंचनामा प्रस्तुत नहीं किया गया है कि शव को रविकांत वैष्णव के कोठार (अनाज भंडार) में रखे धान (पैरावट) से आरोपी के कहने पर बरामद किया गया था।इस प्रकार, अपीलकर्ता के कहने पर शव

बरामद होने के संबंध में अभियोजन पक्ष की कहानी अविश्वसनीय हो जाती है,विशेष रूप से निदेशक दास वैष्णव (पी डब्लू–11) के कथन के आलोक में, जिन्होंने कहा कि जब पुलिस अधिकारी उक्त कोठार के सामने अपीलकर्ता के साथ खड़े थे, तब तक 100 से अधिक लोग पहले ही वहां जमा हो चुके थे। यद्यपि शव बरामदगी का स्थान रविकांत वैष्णव का कोठार था, फिर भी अभियोजन पक्ष ने रविकांत वैष्णव का कथन नहीं लिया गया है।इसलिए, ज्ञापन (एक्स पी/ 9) एक मनगढ़ंत दस्तावेज प्रतीत होता है।आगे यह भी निवेदन किया गया है कि फिरौती मांगने के लिए कथित तौर पर इस्तेमाल किया गया सिम पंकज कुमार कश्यप के नाम पर पंजीकृत था।यह भी तर्क दिया गया है कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने के लिए कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहा है कि सिम संख्या 9575474894, जिसका कथित तौर पर अपीलकर्ता ने दिनेशवर दास (पी डब्लू–4) सहित विभिन्न व्यक्तियों से बात करने के लिए इस्तेमाल किया था, अपीलकर्ता के नाम पर आवंटित किया गया था।उक्त सिम के स्वामित्व को दर्शाने के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसी प्रकार, अभियोजन पक्ष यह साबित करने के लिए कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया है कि आईएमईआई संख्या 352476054223470 वाला मोबाइल हैंडसेट अपीलकर्ता द्वारा खरीदा गया था।विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि जब्ती ज्ञापन से भी यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता से कथित तौर पर जब्त किए गए मोबाइल हैंडसेट पर एक अलग आईएमईआई नंबर है, जिससे जब्ती ही संदिग्ध हो जाती है।कॉल विवरण रिकॉर्ड (एक्स पी/16) साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इसमें जारीकर्ता के हस्ताक्षर नहीं हैं और न ही इसके साथ साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी के तहत आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न है। हालांकि यह आरोप लगाया गया है कि आरोपी ने सिम नंबर 9575474894 का उपयोग करके पी डब्लू.–4 दिनेशवर दास को कॉल किया था, अभियोजन पक्ष ने सिम नंबर 9575474894 और सिम नंबर 9584293286 (जिसे दिनेशवर दास (पी डब्लू.–4) का मोबाइल नंबर बताया गया है) के बीच संचार से संबंधित कोई कॉल विवरण रिकॉर्ड एकत्र नहीं किया है।इन परिस्थितियों में, परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की श्रृंखला अपूर्ण रह जाती है। फिर भी, विद्वान विचारण न्यायालय इन पहलुओं को उचित परिप्रेक्ष्य में समझने में विफल रही और परिणामस्वरूप उसने गलत निर्णय दिया।अतः, आक्षेपित निर्णय को अपास्त किये जाने योग्य है।माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **बोबी बनाम केरल राज्य (2023) 15 एससीसी 760 में प्रकाशित; दया प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2024 एससीसी ऑनलाइन एआईआई 6760 में प्रकाशित; राहिल और अन्य बनाम राज्य (दिल्ली सरकार), 2025 एससीसी ऑनलाइन में प्रकाशित एससी 1481 और इस न्यायालय द्वारा दिनांक 03.01.2023 को सीएलआरए संख्या 321/2013 में दुलेश्वर वर्मा बनाम छत्तीसगढ़ राज्य के प्रकरण में पारित निर्णय पर भी भरोसा किया गया है।**

6. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष अपराध को संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है।माननीय विचारण न्यायालय ने समग्र मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का मूल्यांकन करते हुए अपीलकर्ता के खिलाफ दोष सिद्ध करने का सही निर्णय दिया है, जिसमें इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।अतः, यह अपील योग्यताहीन होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुना है तथा आक्षेपित निर्णय सहित अभिलेख की पूरी तरह से समीक्षा की है।

8. विचारणीय पहला प्रश्न यह है कि मृतक भूपेश उर्फ अप्पू की मृत्यु हत्या थी या नहीं। विचारण न्यायालय ने इसका उत्तर हां में दिया है और यह अभिनिर्धारित किया गया है कि भूपेश कुमार उर्फ अप्पू की मृत्यु गला घोंटने से हुई थी।विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज निष्कर्ष पर विचार करने और पोस्टमार्टम रिपोर्ट (एक्स पी/ 1) को प्रमाणित करने वाले डॉ. ओ.एस. कंवर (पी.डब्ल्यू.–1) के कथन को ध्यान में रखते हुए, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि विचारण न्यायालय का यह निष्कर्ष पूर्णतः उचित था कि मृत्यु हत्यामक प्रकृति कि थी।डॉ. ओ.एस. कंवर (पी डब्लू –1) ने कंडिका 10 में स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई भी व्यक्ति गला घोंटकर स्वयं की मृत्यु नहीं कर सकता, और यह रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर एक सही तथ्य है। अंततः, हम उक्त निष्कर्ष की पुष्टि करते हैं।

9. विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अपीलकर्ता विचाराधीन अपराध का अपराधी है; विशेष रूप से, क्या उसने मृतक का फिरौती के लिए अपहरण किया, गला घोंटकर उसकी हत्या की, और उसके बाद पकड़े जाने और दंड से बचने के लिए शव को रवि शंकर के भंडारगृह में छिपा दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. राजेश कुमार बैरागी (पी डब्लू –3) ने बताया कि 16.05.2013 को उनके मोहल्ले में उनकी भतीजी पूर्णिमा का विवाह समारोह हो रहा था।उन्होंने बताया कि सुबह लगभग 9:00–10:00 बजे के बीच आरोपी अरुण कुमार बैरागी भी वहां पहुंचा था।उन्होंने आगे कहा कि दोपहर में आरोपी मृतक भूपेश कुमार उर्फ अप्पू और अन्य बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहा था, और उसके बाद वह कोरबा चला गया।उसने बयान दिया कि शाम को उसके पिता जगदीश दास बैरागी ने उसे फोन पर बताया कि भूपेश कुमार उर्फ अप्पू गांव में घर पर नहीं है और उसे तुरंत लौटने के लिए कहा।उसने बताया कि घर पहुंचने पर उसने देखा कि सभी लोग उसके भतीजे भूपेश कुमार उर्फ अप्पू को ढूंढ रहे थे।उन्होंने आगे बयान दिया कि उनके पिता ने उन्हें बताया कि एक अज्ञात व्यक्ति ने फोन पर 10 लाख रुपये की फिरौती मांगी थी और कॉल मोबाइल नंबर 7805990913 से की गई थी।इसके बाद, वे पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज कराने गए।

11. जगदीश दास बैरागी (पी डब्लू –5) ने बताया कि 16.05.2013 को वे ड्यूटी पर गए थे और शाम को घर लौटने पर उन्हें पता चला कि उनका पोता भूपेश कुमार बैरागी उर्फ अप्पू दोपहर 2–3 बजे से लापता है और उसकी तलाश की जा रही है लेकिन वह नहीं मिल पा रहा है।उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने अपने बेटे को उर्गा पुलिस स्टेशन में गुमशुदा व्यक्ति की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए भेजा, जबकि वे स्वयं अपने पोते की तलाश में निकल पड़े।उन्होंने बताया कि शाम लगभग 6:58 बजे उन्हें अपने मोबाइल पर एक कॉल आया, जिसमें फोन करने वाले ने 10 लाख रुपये की फिरौती की मांग करते हुए बताया कि उनका पोता फोन करने वाले की अभिरक्षा में है।उन्होंने यह भी बताया कि कॉल मोबाइल नंबर 7805990913 से की गई थी और कॉल उनके मोबाइल नंबर 9993585275 पर प्राप्त हुई थी।उन्होंने आगे बताया कि उनका पुलिस बयान दर्ज कर लिया

गया है।उन्होंने आगे बताया कि 18.05.2013 को कुदरमल गांव में पुलिस ने उनके पास से सिम नंबर 9993585275 वाला उनका काला नोकिया मोबाइल फोन जब्त किया।उन्होंने जब्ती ज्ञापन (एक्स पी/ 6) के सी से सी भाग तक अपने हस्ताक्षर होने की बात स्वीकार की।

12. सतीश कुमार नामदेव (पी डब्लू–6) ने बताया कि पुलिस ने उनकी उपस्थिति में आरोपी का ज्ञापन बयान (एक्स पी/ 9) दर्ज किया।कंडिका 2 में उन्होंने कहा कि आरोपी अरुण कुमार बैरागी ने अपने ज्ञापन बयान (एक्स पी/ 9, भाग ख से ख) में पुलिस को सूचित किया था कि स्मार्ट कंपनी का सिम कार्ड नंबर 7805990913 उसने सड़क पर फेंक दिया था और तलाशी लेने पर वह सिम कार्ड वहीं से बरामद हो गया था।उन्होंने आगे यह भी कहा कि उन्होंने मोबाइल फोन अपने घर में टंगी एक पैंट में रखा था और उसे पेश कर सकते हैं, और उन्होंने अप्पू के शव को गांव के बाहरी इलाके में रविकांत के भंडारगृह के पीछे स्थित परावट में छिपा दिया था।साक्षी ने आगे बताया कि 17.05.2013 को, आरोपी अरुण कुमार बैरागी द्वारा दी गई सूचना के आधार पर और उसे कुदुरगल गांव स्थित उसके घर से लाने के बाद, पुलिस ने सिम नंबर 9575474894 वाला एक काला सैमसंग मोबाइल फोन जब्त किया।जब्ती ज्ञापन एक्स पी/ 10 है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. मुकेश कुमार बैरागी (पी.डब्ल्यू.–7) ने बताया कि मृतक भूपेश कुमार उर्फ अप्पू उनका पुत्र था और घटना दिनांक को बच्चा अन्य बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहा था।उसने बयान दिया कि दोपहर लगभग 2:00–3:00 बजे बच्चा लापता हो गया और व्यापक खोजबीन के बावजूद वह नहीं मिला, जिसके बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई।उसने आगे बताया कि गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने और घर लौटने के बाद उसके पिता जगदीश प्रसाद ने उसे बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन करके 10 लाख रुपये की फिरौती मांगी है।उन्होंने आगे बताया कि पुलिस ने उन्हें सूचित किया कि आरोपी अरुण कुमार बैरागी ने कबूल किया था कि उसने भूपेश कुमार बैरागी उर्फ अप्पू का गला घोंटकर हत्या कर दी थी और शव को रविकांत वैष्णव के भंडारगृह में स्थित एक पैरावट में छिपा दिया था।उन्होंने बताया कि पुलिस ने कोरबा के जिला अस्पताल में उनके बेटे भूपेश कुमार बैरागी उर्फ अप्पू के शव का पंचनामा किया था और उन्हें उक्त कार्यवाही के दौरान उपस्थित रहने के लिए नोटिस दिया था।नोटिस एक्स पी/ 3 है और उन्होंने इस पर सी से सी भाग तक अपने हस्ताक्षर होने की बात स्वीकार की है, और उनके हस्ताक्षर जांच रिपोर्ट (एक्स पी/ 4) पर भी मौजूद हैं।उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने पोस्टमार्टम से पहले अपने पुत्र के शव की पहचान कर ली थी और उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट (एक्स पी/ 1) पर डी से डी भाग तक अपने हस्ताक्षर होने की बात स्वीकार की है।

14. डी.एन.एस. राज (पी.डब्ल्यू.–9) ने कहा कि मुकेश कुमार बैरागी द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर गुमशुदा व्यक्ति रिपोर्ट संख्या 13/13 दर्ज की गई थी, और उसके बाद उन्होंने एफआईआर, एक्स. पी/15 दर्ज की और उन्होंने ए से ए और बी से बी भाग तक उस पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए।

15. निदेशक दास वैष्णव (पी डब्लू–11) ने बताया कि 16.05.2013 को वे उरागा पुलिस स्टेशन गए थे, जहाँ पुलिस अरुण बैरागी से पूछताछ कर रही थी; हालाँकि, उनकी उपस्थिति में आरोपी से कोई पूछताछ नहीं कि

गई।उन्होंने आगे बताया कि पुलिस ने उन्हें सूचित किया कि अरुण कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है और मृतक के दादा जगदीश को फिरौती के लिए किए गए कॉल में इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन उससे बरामद कर लिया गया है।पुलिस ने उन्हें यह भी बताया कि आरोपी उस जगह की जानकारी देगा जहां उसने बच्चे का शव छिपाया था।उन्होंने बताया कि उस समय वे पुलिस के साथ थे और अरुण कुमार उन्हें रविकांत के भंडारगृह में ले गया, जहां उसने बच्चे का शव दिखाया।उन्होंने आगे बताया कि पुलिस ने आरोपी का ज्ञापन बयान (एक्स पी/9) दर्ज किया और उन्होंने ज्ञापन बयान (एक्स पी/9) और ज़ब्ती ज्ञापन (एक्स पी/10) पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए।अभियोजन पक्ष ने उन्हें पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया और उनसे प्रतिपरीक्षा की, जिसके बाद उन्होंने अभियोजन पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया कि वे सतीश कुमार नामदेव के साथ उर्गा पुलिस स्टेशन गए थे।हालांकि, उन्होंने इस सुझाव से इनकार किया कि एक्स पी/ –9 के भाग बी से बी और सी से सी में दिए गए बयान आरोपी ने उनकी उपस्थिति में दिए थे।उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि मोबाइल फोन आरोपी की पैंट की जेब से जब्त किया गया था।अपनी प्रतिपरीक्षा में उन्होंने कहा कि,पुलिस वाले अरूण कुमार को थाने से बाहर निकलकर अपनी गाडी में बिठाकर ले गये उसके पीछे पीछे मैं गया। यह कहना सही है कि मेरे कुदुरमाल पहुंचने के पहले ही पुलिस वाले कुदुरमाल पहुंच चुके थे। जब मैं ग्राम कुदुरनाल पहुंचा तो पुलिस वाले अभि० को रवि के कोठार के सामने गेट के पास खड़े थे। वहाँ पर लगभग सौ से अधिक लोगों की भीड़ थी।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. वर्तमान प्रकरण में, पुलिस ने आरोपी का ज्ञापन बयान एक्स पी/ 9 के माध्यम से दर्ज किया। दोनों साक्षीयों, सतीश कुमार नामदेव (पी डब्लू–6) और निदेशक दास वैष्णव (पी डब्लू–11) ने दस्तावेज़ पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए और पुष्टि की कि अभियुक्त का ज्ञापन बयान उनकी उपस्थिति में दर्ज किया गया था।एक्स पी/9 के अनुसार, अभियुक्त ने निम्नानुसार खुलासा कियाः ––

कोरबा आते समय स्मार्ट कंपनी के सिम कार्ड न. 7805990913 को तोड़कर रास्ते में फेंक दिया उस स्थान पर तलाश करने पर उक्त सिम मिल सकता है तथा मोबाइल फ़ोन को घर में टंगे फुलपैंट में रखा हूँ चलो दे देता हूँ तथा अप्पू की लाश गांव के आखिरी में बने रविकांत के कोठार के पीछे जहां पैरावट में छुपाया हूँ चलो चलकर निकलकर दिखाता हूँ"

17.एक्स पी/ 9 के अनुसार, आरोपी का ज्ञापन बयान 17.05.2013 को लगभग 16:30 बजे दर्ज किया गया था।इस ज्ञापन के आधार पर, 18:10 बजे एक ज़ब्ती ज्ञापन (एक्स पी/10) तैयार किया गया, जिसके तहत आरोपी के कब्जे से एक सैमसंग मोबाइल फोन जब्त किया गया था।हालांकि, अभियोजन पक्ष ने शव बरामदगी संबंधी कोई ज्ञापन तैयार नहीं किया।

18. अन्वेषण अधिकारी एस.के. पाठक (पी.डब्ल्यू.–13) ने अपने मुख्य बयान के कंडिका 4 में कहा कि आरोपी द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर, अप्पू का शव रविकांत के गोदाम के प्रांगण के पास से बरामद किया गया था।**"अपनी प्रतिपरीक्षा में, कंडिका 14 में उन्होंने स्वीकार किया कि,इस प्रकरण में अरूण कुमार**

वैष्णव के निशानदेही पर जो अप्पू का लाश बरामद संबंधी तथ्य मैं अपने मुख्य परी० में कथन किया हूँ इस संबंध में कोई दस्तावेज इस प्रकरण में उपलब्ध नहीं है। स्वतः कहा कि चूंकि लाश जप्त नहीं की जाती इसलिये जप्ती पंचनामा नहीं बनाया था, अपितु गवाहो के समक्ष अमि० के द्वारा बताये जाने पर शव बरामद किया गया था।इसके बाद उन्होंने स्वीकार किया कि ज्ञापन (एक्स पी/ 9) तैयार करने से पहले, एक अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया था।जब उनसे पूछा गया कि क्या ज्ञापन (एक्स पी/ 9) दर्ज करते समय उन्होंने अरुण कुमार वैष्णव को आरोपी माना था, तो साक्षी ने स्पष्ट किया कि जब अरुण कुमार ने इस मामले में अपहृत बच्चे की हत्या करने की बात कबूल की, तब उन्होंने उसे अपराधी/आरोपी माना।उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने शव बरामद होने का समय दर्ज नहीं किया था।

19. दुर्गेश राठौर (पी डब्लू –12) उस समय साइबर सेल में तैनात हेड कांस्टेबल थे और उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर उन्होंने उसी दिन संबंधित मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स प्राप्त की थीं और 13 पन्नों का प्रिंटआउट तैयार किया था।उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि उन कॉल डिटेल्स में, आरोपी के नंबर 7605990913 को नीली स्याही से खींचे गए तीर से दर्शाया गया था और स्वर्गीय प्रेमदास वैष्णव के पिता जगदीश के नंबर 9993585275 को भी तीरों से चिह्नित किया गया था, जो दोनों नंबरों के बीच हुई बातचीत के अभिलेख को दर्शाता है।यह बताया गया कि कॉल विवरण प्राप्त करने के लिए उर्गा स्टेशन हाउस ऑफिसर द्वारा पुलिस अधीक्षक को एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था, और उक्त आवेदन को एक्स पी/ 17 के रूप में चिह्नित किया गया था।रिलायंस कंपनी द्वारा मोबाइल नंबर 7805990913 के संबंध में दी गई जानकारी के आधार पर, यह पाया गया कि सिम कार्ड पंकज कुमार कश्यप के नाम पर जारी किया गया था।संबंधित दस्तावेज़ों को एक्स पी/ –17 ए के रूप में रिकॉर्ड में रखा गया। उक्त नंबर के ग्राहक पंकज कुमार द्वारा प्रस्तुत आवेदन और चुनाव आयोग के पहचान पत्र की एक फोटोकॉपी भी मोबाइल कंपनी से प्राप्त हुई और उसे एक्स पी–17 बी के रूप में प्रदर्शित किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. दुर्गेश राठौर (पी डब्लू 12) के अनुसार, आरोपी का आईएमईआई नंबर 352476054223470 है और ज़ब्ती ज्ञापन(एक्स पी/10) के अनुसार, यह लिखा है कि,**एक सैमसंग कंपनी का मोबाइल फ़ोन जो काले रंग की बॉडी का है जिसमे आईडिया कंपनी का सिम लगा हुआ है जिसका नबंर 9579474894 है इस फ़ोन सेट का I.M.E.I. नंबर 352476054223740 हैं "**

21.अभिलेख से यह स्पष्ट है कि अन्वेषण के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा उक्त मोबाइल फोन के स्वामित्व को साबित करने के लिए कोई दस्तावेज जब्त नहीं किया गया था।

22. अपने बयान के कंडिका 18 में, श्री एस.के. पाठक (पी.डब्ल्यू.–13) ने आगे कहा कि उन्होंने एक्स.पी/10 में उल्लिखित मोबाइल नंबर 9579474894 के स्वामित्व से संबंधित कोई दस्तावेज एकत्र नहीं किया था।

23. अभियोजन पक्ष के समस्त साक्षीयों के बयानों की गहन जांच से पता चलता है कि राजेश कुमार बैरागी (पी.डब्ल्यू.–3) के उस बयान के अलावा, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने आरोपी और मृतक को अन्य

बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते देखा था, अभियोजन पक्ष द्वारा कोई भी निर्णायक या कानूनी रूप से मान्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

24. अभियोजन पक्ष ने यह भी दावा किया है कि आरोपी के ज्ञापन के अनुसार शव बरामद किया गया था; हालांकि, इस बरामदगी के संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य तैयार या प्रस्तुत नहीं किया गया है।

25. बोबी (उपरोक्त) मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कंडिका 31, 32 और 33 में निम्नलिखित टिप्पणी की है– ––

31. **स्टेट ऑफ कर्नाटक बनाम डेविड रोजारियोस [(2002) 7 एससीसी 728] में** इस न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख करना भी सुसंगत होगा:(एससीसी पृष्ठ 733, कंडिका 5)

"5.....यह जानकारी, जो अन्यथा स्वीकार्य है, धारा 27 के तहत अस्वीकार्य हो जाती है यदि यह जानकारी किसी पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में मौजूद व्यक्ति से प्राप्त न हुई हो या किसी ऐसे व्यक्ति से प्राप्त हुई हो जो पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में न हो।धारा 27 के तहत स्वीकार्य कथन वह है जो खोज की ओर ले जाने वाली जानकारी है।अतः, जो जानकारी स्वीकार्य है, उसे सिद्ध किया जाना चाहिए, न कि पुलिस अधिकारी द्वारा उस पर बनाई गई राय को।दूसरे शब्दों में, पुलिस अधिकारी की हिरासत में रहते हुए आरोपी द्वारा दी गई सटीक जानकारी।धारा 27 के तहत स्वीकार्य बयान वह है जो बरामदगी की सूचना देता है।अतः, जो सूचना स्वीकार्य है, उसे सिद्ध करना होगा, न कि पुलिस अधिकारी द्वारा उस पर बनाई गई राय को।दूसरे शब्दों में, हिरासत में रहते हुए आरोपी द्वारा दी गई वह सटीक सूचना जिसके आधार पर वस्तुओं की बरामदगी हुई, सिद्ध करनी होगी।अतः, अभियुक्त और अभियोजन पक्ष दोनों के हित में यह आवश्यक है कि दी गई सूचना को दर्ज किया जाए और सिद्ध किया जाए, और यदि ऐसा दर्ज नहीं किया गया है, तो सटीक सूचना को साक्ष्य के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए।साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 में निहित मूल विचार अनुवर्ती घटनाओं द्वारा पुष्टि का सिद्धांत है।यह सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि यदि किसी कैदी से प्राप्त सूचना के आधार पर की गई तलाशी में कोई तथ्य खोजा जाता है, तो ऐसी खोज इस बात की गारंटी है कि कैदी द्वारा दी गई सूचना सत्य है।सूचना भले ही स्वीकारोक्तिपूर्ण हो या दोष सिद्ध न करने वाली प्रकृति की हो, लेकिन यदि इससे किसी तथ्य की खोज होती है, तो यह एक विश्वसनीय सूचना बन जाती है। यह अब सर्वविदित है कि किसी वस्तु की बरामदगी इस धारा में परिकल्पित तथ्य की खोज नहीं है।पुलुकुरी कोटय्या बनाम राजा–सम्राट [1946 एससीसी ऑनलाइन पीसी 47] में प्रिवी काउंसिल का निर्णय इस व्याख्या का समर्थन करने के लिए सबसे अधिक उद्धृत प्राधिकारी है कि धारा में परिकल्पित "खोजे गए तथ्य" में वह स्थान शामिल है जहां से वस्तु का उत्पादन किया गया था, इसके बारे में आरोपी का ज्ञान, लेकिन दी गई जानकारी स्पष्ट रूप से उस आशय से संबंधित होनी चाहिए।(देखें :महाराष्ट्र राज्य बनाम दामू [(2000) 6 एस. सी. सी. 269] (जोर दिया गया)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

32. इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने हाल ही में **सुब्रमण्य बनाम कर्नाटक राज्य 10 मामले में इस प्रकार टिप्पणी की हैः(एस. सी. सी. पीपी. 299–300, कंडिका 76–78)**

"76.उपरोक्त साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, हम इस बात पर विचार करते हैं कि क्या अभियोजन पक्ष कानून के अनुसार खोजों को सिद्ध और स्थापित करने में सक्षम रहा है।साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 इस प्रकार है:

'27.अभियुक्त से प्राप्त सूचना का कितना भाग सिद्ध किया जा सकता है?परंतु कि, जब किसी अपराध के अभियुक्त से पुलिस अधिकारी की हिरासत में प्राप्त सूचना के परिणामस्वरूप किसी तथ्य का पता चलने का बयान दिया जाता है, तो ऐसी सूचना का उतना भाग,चाहे वह स्वीकारोक्ति हो या न हो, जो उस तथ्य से स्पष्ट रूप से संबंधित हो, सिद्ध किया जा सकता है।'

77. उपरोक्त सभी अभियोजन गवाहों के साक्ष्य में पहली और मूलभूत खामी यह है कि उनमें से किसी ने भी अपीलकर्ता द्वारा दिए गए उस सटीक बयान को नहीं दिया है, जिसके कारण अंततः साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत सुसंगत तथ्य का पता चला है।

78. यदि अन्वेषण अधिकारी का यह कहना है कि अपीलकर्ता–आरोपी ने अभिरक्षा में रहते हुए अपनी स्वतंत्र इच्छा से यह बयान दिया कि वह उस स्थान पर ले जाएगा जहां उसने अपराध का हथियार, शव को दफनाने का स्थान, कपड़े आदि छिपाए थे, तो अन्वेषण अधिकारी को सबसे पहले पुलिस स्टेशन में ही दो स्वतंत्र साक्षीयों को पुलिस थाना में ही बुलाना चाहिए था।जब दोनों स्वतंत्र साक्षीयों पुलिस स्टेशन पहुंच जाएं, तो उनकी उपस्थिति में आरोपी से उचित बयान देने के लिए कहा जाना चाहिए, जैसा कि वह चाहे, उस स्थान की ओर इशारा करते हुए जहां उसने कथित तौर पर अपराध का हथियार छिपाया था, आदि। जब आरोपी अभिरक्षा में रहते हुए दोनों स्वतंत्र साक्षीयों (पंच साक्षीयों) के समक्ष ऐसा बयान देता है, तो आरोपी द्वारा दिया गया सटीक बयान या कहें कि उसके द्वारा बोले गए सटीक शब्द पंचनामा के पहले भाग में शामिल किए जाने चाहिए, जिसे अन्वेषण अधिकारी विधि के अनुसार तैयार करे।साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के प्रयोजन के लिए पंचनामा का यह पहला भाग पुलिस स्टेशन में स्वतंत्र साक्षीयों की उपस्थिति में तैयार किया जाता है, ताकि यह प्रमाणित हो सके कि आरोपी ने अपनी स्वतंत्र इच्छा और स्वेच्छा से अपराध में प्रयुक्त हथियार या किसी अन्य वस्तु को छिपाने के स्थान को इंगित करने की इच्छा व्यक्त करते हुए एक विशेष बयान दिया था। पंचनामा का पहला भाग पूरा हो जाने के बाद, पुलिस दल आरोपी और दो स्वतंत्र साक्षीयों (पंच साक्षीयों) के साथ आरोपी द्वारा बताए गए स्थान पर जाता है।यदि उस विशेष स्थान से अपराध में प्रयुक्त हथियार, रक्त से सने कपड़े या कोई अन्य वस्तु बरामद होती है, तो संपूर्ण प्रक्रिया का वह भाग पंचनामा का दूसरा भाग कहलाएगा।विधि के अनुसार, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत अन्वेषण अधिकारी से इसी प्रकार खोज पंचनामा तैयार करने की अपेक्षा की जाती है। यदि हम अन्वेषण अधिकारी के संपूर्ण मौखिक साक्ष्य को पढ़ें, तो यह स्पष्ट है कि उपरोक्त सभी प्रासंगिक पहलुओं में वह अपर्याप्त है।इस न्यायालय ने सुब्रमण्य मामले [सुब्रमण्य बनाम कर्नाटक राज्य, (2023) 11 एससीसी 255] में इस बात पर विस्तारपूर्वक विचार किया है कि कानून

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

के अनुसार जांच अधिकारी से साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत खोज पंचनामा तैयार करने की अपेक्षा कैसे की जाती है।

33. वर्तमान मामले में, बरामदगी पंचनामा उपर्युक्त आवश्यकता के अनुरूप होने के अलावा, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत बोबी (आरोपी 3–अपीलकर्ता) का कोई बयान दर्ज नहीं है। इसलिए, हमारा यह मत है कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि मृतक का शव बोबी (आरोपी 3–अपीलकर्ता) के कहने पर बरामद किया गया था।"

26. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, वर्तमान मामले में भी, अभियोजन पक्ष द्वारा मृतक के शव की बरामदगी को आरोपी द्वारा कथित रूप से तैयार किए गए ज्ञापन (एक्स पी/ 9) के आधार पर सिद्ध करने हेतु कोई बरामदगी ज्ञापन या अन्य दस्तावेज तैयार या प्रस्तुत नहीं किया गया है।अंततः, ज्ञापन (एक्स पी/ 9) को अपीलकर्ता के विरुद्ध साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं माना जा सकता है।अभियोजन पक्ष ने केवल दो मोबाइल नंबरों के कॉल विवरण प्रस्तुत किए हैं; यद्यपि, वह यह सिद्ध करने में विफल रहा है कि ये मोबाइल नंबर आरोपी के थे।इसके अलावा, अभियोजन पक्ष द्वारा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को साबित करने के लिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी के तहत कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

27. दुलेश्वर वर्मा (उपरोक्त) के मामले पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने कंडिका 11 और 12 में निम्नलिखित टिप्पणियाँ कीं:––

"11. उपरोक्त निष्कर्ष को चुनौती देने के लिए, जिसमें इसे दोषसिद्धि का प्रमाण माना गया है, अपीलकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया है कि यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65 बी(4) के तहत प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित नहीं है, इसलिए यह साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं है और इस प्रकार इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि विचारण न्यायालय ने इसे दोषसिद्धि के प्रमाण के रूप में स्वीकार करने में गलती की है और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया गया हैअर्जुन पंडितराव खोटकर बनाम कैलाश कुशनराव गोरंत्याल [(2021) 7 एस. सी. सी. 1] के मामले में, जिसमें माननीय न्यायाधीशों ने शफी मोहम्मद बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य [(2018) 2 एस. सी. सी. 801] और अनवर पी.वी. बनाम पी.के. बशीर [(2014) 10 एस. सी. सी. 473] के मामलों में उठाए गए विवाद और मतभेद को सुलझाते हुए यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 658 के तहत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना केवल द्वितीयक साक्ष्य के मामले में अनिवार्य है जहां प्राथमिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है या मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। माननीय न्यायाधीशों ने आगे यह भी अभिनिर्धारित किया है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी(4) के अंतर्गत आवश्यक प्रमाण पत्र, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के रूप में द्वितीयक साक्ष्य की स्वीकार्यता के लिए एक पूर्व शर्त है, जैसा कि अनवर पी.वी. (उपरोक्त) में निर्धारित किया गया है और शफी मोहम्मद (उपरोक्त) में गलत तरीके से स्पष्ट किया गया है।यह इस प्रकार यह अभिनिर्धारित किया है : ––

"61.अतः हम यह दोहराना चाहते है कि धारा 65–बी(4) के अंतर्गत आवश्यक प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के माध्यम से साक्ष्य की स्वीकार्यता के लिए एक पूर्व शर्त है, जैसा कि अनवर पी.वी. (उपरोक्त) में सही ढंग से कहा गया है और शफी मोहम्मद (उपरोक्त) में गलत तरीके से "स्पष्ट" किया गया है।इस प्रकार के प्रमाण पत्र के स्थान पर मौखिक साक्ष्य पर्याप्त नहीं हो सकता है क्योंकि धारा 65–बी(4) कानून की एक अनिवार्य आवश्यकता है।वास्तव में, टेलर बनाम टेलर [(1875) एलआर 1 सीएच डी 426] में प्रतिपादित प्रतिष्ठित सिद्धांत, जिसका इस न्यायालय के कई निर्णयों में अनुसरण किया गया है, को भी लागू किया जा सकता है।साक्ष्य अधिनियम की धारा 65–बी(4) स्पष्ट रूप से कहती है कि द्वितीयक साक्ष्य केवल तभी स्वीकार्य है जब उसे निर्धारित तरीके से प्रस्तुत किया जाए, अन्यथा नहीं।इसके विपरीत निर्णय लेने से धारा 65–बी(4) निरर्थक हो जाएगी।माननीय न्यायाधीशों ने यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि धारा 658(4) के तहत आवश्यक प्रमाण पत्र अनावश्यक है यदि मूल दस्तावेज ही प्रस्तुत किया जाता है और यह लैपटॉप कंप्यूटर, कंप्यूटर टैबलेट या यहां तक कि मोबाइल फोन के मालिक द्वारा साक्षी के रूप में उपस्थित होकर और यह साबित करके किया जा सकता है कि संबंधित उपकरण, जिस पर मूल जानकारी पहली बार संग्रहीत की जाती है, उसके स्वामित्व में है और/या उसके द्वारा संचालित है।इस संदर्भ का उत्तर कंडिका 73.1 , 73.2.तथा 73.3 में दिया गया था,जो कि निम्नानुसार है –

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

73.1.अनवर पी.वी. (उपरोक्त) का मामला, जैसा कि हमने ऊपर स्पष्ट किया है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 658 पर इस न्यायालय द्वारा घोषित कानून है। टोमासो ब्रूनो [(2015) 7 एससीसी 178] का निर्णय, त्रुटिपूर्ण होने के कारण, विधि को उचित ढंग से निर्धारित नहीं करता है।साथ ही, शफी मोहम्मद (उपरोक्त) का निर्णय और 3–4–2018 का निर्णय, जो शफी मोहम्मद बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य [(2018) 5 एससीसी 311] के रूप में रिपोर्ट किया गया है, कानून को सही ढंग से निर्धारित नहीं करते हैं और इसलिए इन्हें निरस्त किया जाता है।

73.2.ऊपर दिए गए स्पष्टीकरण में यह कहा गया है कि यदि मूल दस्तावेज़ ही प्रस्तुत किया जाता है, तो धारा 65–बी(4) के अंतर्गत आवश्यक प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।लैपटॉप कंप्यूटर, कंप्यूटर टैबलेट या मोबाइल फोन का स्वामी भी गवाह के रूप में उपस्थित होकर यह सिद्ध कर सकता है कि जिस उपकरण पर मूल जानकारी संग्रहीत है, वह उसी के स्वामित्व में है और/या उसी द्वारा संचालित किया जाता है।यदि "कंप्यूटर" किसी "कंप्यूटर सिस्टम" या "कंप्यूटर नेटवर्क" का हिस्सा है और ऐसे सिस्टम या नेटवर्क को भौतिक रूप से न्यायालय में लाना असंभव है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में निहित जानकारी प्रदान करने का एकमात्र तरीका धारा 65–बी(1) के अनुसार, धारा 65–बी(4) के अंतर्गत आवश्यक प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करना है।अनवर पी.वी. (उपरोक्त) के कंडिका 24 का अंतिम वाक्य, जिसमें लिखा है कि "यदि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को साक्ष्य अधिनियम की धारा 62 के तहत प्राथमिक साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जाता है", को इस प्रकार स्पष्ट किया जाता है कि इसे "साक्ष्य अधिनियम की धारा 62 के तहत....." शब्दों के

बिना पढ़ा जाना चाहिए।इस स्पष्टीकरण के साथ, अनवर पी.वी. (उपरोक्त) के कंडिका 24 में वर्णित कानून पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

73.3.कंडिका 64 (उपरोक्त) में जारी किए गए सामान्य निर्देशों का पालन इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य से निराकरण करने वाले न्यायालयों द्वारा आगे से किया जाएगा, ताकि उनके संरक्षण और उचित चरण में प्रमाण पत्र की प्रस्तुति सुनिश्चित की जा सके।सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67–सी के तहत नियम और निर्देश तथा दूरसंचार और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं द्वारा अनुपालन हेतु डेटा प्रतिधारण शर्तें तैयार होने तक ये निर्देश सभी कार्यवाहियों में लागू होंगे।"

12. रविंदर सिंह उर्फ काकू बनाम पंजाब राज्य के मामले में[2022 लाइव लॉ (एससी) 461], सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने अर्जुन पंडितराव खोटकर (उपरोक्त) के निर्णय का अनुसरण करते हुए यह अभिनिर्धारित किया है कि प्रमाण पत्र के स्थान पर मौखिक साक्ष्य पर्याप्त नहीं हो सकता क्योंकि धारा 65 बी(4) कानून की अनिवार्य आवश्यकता है।माननीय न्यायाधीशों ने यह अभिनिर्धारित किया कि धारा 65 बी (4) विधि की एक अनिवार्य आवश्यकता है तथा इसके तहत माना जाता है –

"21.उपरोक्त के आलोक में, उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य विधि के अनुरूप होना चाहिए था और प्रमाणन की आवश्यकता का अनुपालन करना चाहिए था, तभी इसे न्यायालय में स्वीकार्य माना जा सकता था।जैसा कि ऊपर सही कहा गया है, इस मामले में, प्रमाण पत्र के स्थान पर मौखिक साक्ष्य पर्याप्त नहीं हो सकता, क्योंकि धारा 65 बी(4) कानून की अनिवार्य आवश्यकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

28. वर्तमान मामले में भी, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, अभिलेख में मौजूद संपूर्ण साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जांच करने पर यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता के अपराध को निर्णायक रूप से सिद्ध करने के लिए परिस्थितियों की एक पूर्ण और अटूट श्रृंखला स्थापित करने में विफल रहा है।अभियोजन पक्ष द्वारा सिद्ध किया गया एकमात्र प्रमाण यह है कि घटना वाले दिन आरोपी को मृतक के साथ क्रिकेट खेलते देखा गया था, जैसा कि राजेश कुमार बैरागी (पी डब्लू–3) ने बताया है।यह तथ्य, यदि स्वीकार भी कर लिया जाए, तो भी आईपीसी की धारा 363, 364 ए, 302 और 201 के तहत दोषसिद्धि के लिए पूरी तरह अपर्याप्त है।

29. अभियोजन पक्ष का यह दावा कि मृतक का शव आरोपी के ज्ञापन के आधार पर बरामद किया गया था, किसी भी समकालीन दस्तावेजी प्रमाण से समर्थित नहीं है।न तो बरामदगी ज्ञापन, न ही कोई पंचनामा, और न ही कोई ऐसी कार्यवाही प्रस्तुत की गई है जिससे यह संकेत मिले कि आरोपी द्वारा दी गई सूचना के परिणामस्वरूप शव बरामद हुआ था।इसके विपरीत, अन्वेषण अधिकारी एस.के. पाठक (पी.डब्ल्यू.–13) ने अपने प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि इस कथित बरामदगी से संबंधित कोई दस्तावेज मामले के अभिलेख में मौजूद नहीं है।किसी बरामदगी ज्ञापन या दस्तावेज के अभाव में, कथित बरामदगी को साक्ष्य

अधिनियम की धारा 27 के तहत स्वीकार्यता के लिए आधार नहीं बनाया जा सकता है, और इसलिए ज्ञापन बयान (एक्स पी/9) अपीलकर्ता के विरुद्ध साक्ष्य के रूप में अपना महत्व खो देता है।

30. अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ता को दोषी ठहराने के लिए कॉल डिटेल रिकॉर्ड का सहारा लिया; हालांकि, उक्त इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य अस्वीकार्य है क्योंकि इसके साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी(4) के तहत अनिवार्य प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। साइबर सेल के साक्षी दुर्गेश राठौर (पी.डब्ल्यू.–12) ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि ऐसा कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था।इसके अतिरिक्त, अभियोजन पक्ष द्वारा जिन मोबाइल नंबरों का हवाला दिया गया है, जिनमें सिम नंबर 7805990913 और 9579474894 शामिल हैं, उनके कभी भी अपीलकर्ता के स्वामित्व में होने या उसके द्वारा उपयोग किए जाने का कोई दस्तावेज रिकॉर्ड पर प्रस्तुत नहीं किया गया है।यहां तक कि जब्त किए गए सैमसंग मोबाइल फोन के संबंध में भी, अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ता द्वारा इसके स्वामित्व या कब्जे को साबित करने वाला कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है।मोबाइल फोन और सिम नंबरों को अपीलकर्ता से जोड़ने वाले सबूतों के अभाव में, कॉल डिटेल रिकॉर्ड का कोई प्रमाणिक महत्व नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

31. घटना स्थल और शव को छुपाने के संबंध में अभियोजन पक्ष के साक्ष्य में भी गंभीर विसंगतियां हैं। ज्ञापन के साक्षी सतीश कुमार नामदेव (पी.डब्ल्यू.–6) और निदेशक दास वैष्णव (पी.डब्ल्यू.–11) ने अपने हस्ताक्षर स्वीकार करते हुए भी अभियोजन पक्ष के बयान का पूरी तरह से समर्थन नहीं किया। निदेशक दास वैष्णव (पी.डब्ल्यू.–11), जिन्हें विरोधी गवाह घोषित किया गया था, ने स्पष्ट रूप से इस बात से इनकार किया कि अभियुक्तों ने प्रदर्श पी/9 के खंड बी से बी और सी से सी में उल्लिखित बयान उनकी उपस्थिति में दिए थे।उनके कथन से यह भी पता चलता है कि उनके पहुंचने से पहले ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच चुकी थी, जिससे आरोपी द्वारा किए गए कथित खुलासे की स्वैच्छिकता और प्रामाणिकता पर संदेह पैदा होता है।

32. अन्वेषण प्रक्रिया, जिसमें शव बरामदगी के समय का रिकॉर्ड न रखना और आवश्यक दस्तावेज़ तैयार न करना शामिल है, अभियोजन पक्ष के मामले की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर गंभीर संदेह पैदा करती है। ये चूकें परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के माध्यम से अपीलकर्ता के अपराध को साबित करने के अभियोजन पक्ष के प्रयास की जड़ पर प्रहार करती हैं।

33. किसी मामले में, जो पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित हो, साक्ष्यों की श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी को दृढ़ता से स्थापित किया जाना चाहिए और उसे स्पष्ट रूप से आरोपी के अपराध की ओर इंगित करना चाहिए, जिससे निर्दोषता के सभी संभावित अनुमानों को खारिज किया जा सके।अभियोजन पक्ष द्वारा वर्तमान प्रकरण में प्रस्तुत परिस्थितियाँ न केवल अपूर्ण हैं, बल्कि कानूनी रूप से भी अस्वीकार्य हैं। कोई उद्देश्य सिद्ध नहीं हुआ है।क्रिकेट खेलने की मामूली परिस्थिति के अलावा, अंतिम बार देखे जाने का कोई साक्ष्य स्थापित नहीं हुआ है।अभियुक्त के कहने पर शव बरामद होने का कोई प्रमाण नहीं मिला है।

कोई भी स्वीकार्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य अभियुक्त को कथित फिरौती कॉल या संबंधित मोबाइल फोन से नहीं जोड़ता है।

34. उपरोक्त कमियों के आलोक में, अभियोजन पक्ष अपने मामले को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है।अतः अपीलकर्ता संदेह का लाभ पाने का हकदार है।

35. परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है।माननीय विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि का निर्णय और दंड का आदेश अपास्त किया जाता है।अपीलकर्ता को संदेह का लाभ देते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 364 ए, 302 और 201 के तहत लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

36. अपीलकर्ता जमानत पर है।दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437–ए (बी.एन.एस.एस. की धारा 481) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ता को दंड प्रक्रिया संहिता में निर्धारित प्रपत्र संख्या 45 के अनुसार 25,000/– रुपये की राशि का एक व्यक्तिगत बांड और इतनी ही राशि का एक जमानती संबंधित न्यायालय के समक्ष तत्काल प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है, जो छह महीने की अवधि के लिए प्रभावी होगा। साथ ही, अपीलकर्ता को यह वचन देना होगा कि इस निर्णय के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका दायर करने या अनुमति प्राप्त करने की स्थिति में, उपरोक्त अपीलकर्ता इसकी सूचना प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

37. इस निर्णय की एक प्रति सहित विचारण न्यायालय का अभिलेख अनुपालन और आवश्यक कार्यवाही के लिए तुरंत संबंधित विचारण न्यायालय को वापस भेज दिया जाए।

सही/–
(रजनी दुबे)
न्यायाधीश

सही/–
(अमितेंद्र किशोर प्रसाद)
न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur